ग्यारहवीं अनुसूची

(धारा 85 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,—

(i) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---60 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "90 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) टैरिफ मद 2402 20 40 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---60 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "90 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iii) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "145 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iv) टैरिफ मद 2402 20 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	**माल का वर्णन**	**इकाई**	**शुल्क की दर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
"2402 20 60	---75 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 85 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	190 रुपए प्रति हजार"।